प्रेस नोट

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर (छ.ग.)

लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024

दिनांक 22 मार्च 2024

लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 अंतर्गत आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा अधिसूचित “अनिवार्य सेवाओं” के राज्य स्तरीय विभागीय नोडल अधिकारीयों की बैठक आयोजित गई | इस बार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हेतु 10 सेवाओ को “अनिवार्य सेवा” के रूप में अधिसूचित किया गया है | इन 10 सेवाओं में (1) स्वास्थ्य विभाग, (2) विद्युत् विभाग, (3) रेल परिवहन, (4) डाक एवं टेलीग्राम विभाग, (5) बीएसएनएल, (6) आल इण्डिया रेडियो, (7) दूरदर्शन, (8) छ.ग. राज्य सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, (9) मीडियाकर्मी जिन्हें आयोग की अनुमति से प्राधिकार पत्र जारी किये जाएंगे एवं (10) भारतीय खाद्य निगम शामिल हैं |

आयोग के निर्देशानुसार इन सेवाओं के ऐसे कर्मचारी, **जो अपनी शासकीय ड्यूटी के कारण मतदान दिवस को मतदान केंद्र जाकर अपना वोट नहीं डाल सकेंगे**, उन्हें फॉर्म 12घ में आवेदन करने पर डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा रहेगी | प्रारूप 12घ में आवेदक कर्मचारी को अपनी अन्य जानकारी के साथ-साथ मोबाइल नम्बर एवं मतदाता सूचि में भाग संख्या एवं सरल क्रमांक सही-सही डालना होगा | उन्हें वोटर आईडी कार्ड की छायाप्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी | यह आवेदन निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के 5 दिवस के भीतर सम्बंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी को प्राप्त हो जाना चाहिए **| छ.ग. राज्य हेतु फॉर्म 12घ जमा करने की अंतिम तिथि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के चरणवार निम्नानुसार होगी :**

चरण	**लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र**	**फॉर्म 12घ में आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि**
प्रथम चरण	बस्तर	25 मार्च 2024
द्वितीय चरण	राजनांदगांव, कांकेर एवं महासमुंद	2 अप्रैल 2024
तृतीय चरण	सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग एवं रायपुर	17 अप्रैल 2024

राज्य में आयोजित बैठक में सभी नोडल अधिकारीयों को बताया गया कि जिला स्तर पर नोडल अधिकारीयों की नियुक्ति कर ली जावे | जिला स्तर पर नोडल अधिकारीयों को फॉर्म 12घ में प्राप्त आवेदनों को इसके भाग 2 में सत्यापित करना अनिवार्य होगा |

नियत समयावधि तक प्राप्त सभी पात्र **अनुपस्थित अनिवार्य श्रेणी के मतदाताओ** को जिले में **पोस्टल वोटिंग सेण्टर** स्थापित कर डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करवाया जाएगा | यह पोस्टल वोटिंग सेण्टर जिले में लगातार 3 दिनों तक सुबह 9 से सायं 5 बजे तक संचालित किया जावेगा | पोस्टल वोटिंग सेण्टर की स्थपाना की सुचना से निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को अवगत कराया जावेगा ताकि वे मतदान की कार्यवाही के दौरान स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रहकर इसका अवलोकन कर सकें | इसके साथ ही सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जावेगी | प्रत्येक दिवस मतदान उपरान्त पोस्टल वोटिंग सेण्टर से प्राप्त सभी डाक मतपत्रों को ट्रेज़री स्थित स्ट्रांग रूम में रख कर मतपेटी को सील किया जाएगा |

फॉर्म 12घ में आवेदन प्राप्त होने और इसके स्वीकृत होने पर मतदाताओं को पोस्टल वोटिंग सेण्टर स्थपाना की तिथि एवं स्थान सम्बन्धी सूचना प्रदान की जाएगी जिससे कि वे आकर अपना मतदान कर सकें | ऐसे सभी मतदाता मतदान दिवस को मतदान केंद्र पर अपना वोट नहीं दाल सकेंगे | इसलिए इन सेवाओं के ऐसे व्यक्ति जो मतदान के दिन मतदान केंद्र जाकर अपना वोट डालने में सक्षम है उन्हें इस सुविधा की पात्रता नहीं होगी और उन्हें आवेदन फॉर्म 12घ में नहीं भरना होगा |

................//...............